माननीय पी. सी. जैन, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश एस. पी. गोयल और आई. एस. तिवाना के समक्ष

मनोहर लाल और अन्य, -अपीलकर्ता,

बनाम

दीवान चंद और अन्य,-प्रतिवादी।

1975 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 1263।

24 अप्रैल 1985.

हिंदू कानून - मिताक्षरा स्कूल - कर्ता द्वारा सहदायिक संपत्ति की बिक्री - न तो कानूनी आवश्यकता के लिए और न ही संपत्ति के लाभ के लिए बिक्री - बिक्री को चुनौती देने वाले बेटों द्वारा मुकदमा - बिक्री - क्या पूरी तरह से अलग रखा जा सकता है - विक्रेता - क्या बाध्य है अपने हिस्से की सीमा तक बिक्री करके।

माना जाता है कि जहां मिताक्षरा कानून द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार का कोई सदस्य सहदायिकों की सहमति के बिना संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति या उसके किसी हिस्से को बेचता है या गिरवी रखता है,

मनोहर लाल और अन्य बनाम दीवान चंद और अन्य

(माननीय न्यायाधीश एस. पी. गोयल)

जब तक कि यह कानूनी आवश्यकता के लिए न हो, तब तक अलगाव पूरी तरह से रद्द किया जा सकता है और यह अलगाव करने वाले सहदायिक के हिस्से को भी पार नहीं करता है। यहां तक कि पंजाब में भी, जहां कस्टम बेटा पिता के खिलाफ विभाजन का दावा नहीं कर सकता है, जब अलगाव रद्द कर दिया जाता है तो बेटा पिता के साथ संयुक्त कब्जे का हकदार होता है। इस प्रकार, यह माना जाता है कि मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ के तहत अलगाव, यदि अन्यथा शून्य है, तो विदेशी के हिस्से को भी बाध्य नहीं करता है।

(पैरा 4 और 5).

1. ज्वाला सिंह और अन्य बनाम लछमन दास और अन्य, ए.आई.आर. 1974 पंजाब और हरियाणा 188.

2. लछमन दास बनाम उदे चंद और अन्य, एल.पी.ए. 1973 के 692 का निर्णय 31 जनवरी 1977 को हुआ।

इस नियमित दूसरी अपील को माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.पी. गोयल ने 11 जुलाई, 1984 को बड़ी पीठ को संदर्भित किया। माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.पी. गोयल और माननीय श्री न्यायमूर्ति आई.एस. तिवाना की बड़ी पीठ ने इसे फिर से संदर्भित किया। 30 अगस्त, 1984 को मामला पूर्ण पीठ को भेजा गया और पूर्ण पीठ जिसमें माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री प्रेम चंद जैन, माननीय श्री न्यायमूर्ति एस. पी. गोयल और माननीय श्री न्यायमूर्ति आई. एस. तिवाना शामिल थे, ने मामले को वापस भेज दिया। गुण-दोष के आधार पर निपटान के लिए 24 अप्रैल, 1985 को एकल पीठ को भेजा गया। माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.पी. गोयल ने अंततः 9 मई, 1985 को मामले का फैसला किया।

श्री रोमेश चंद जैन, वरिष्ठ उप न्यायाधीश, उन्नत अपीलीय शक्तियों के साथ, हिसार की अदालत के आदेश से नियमित दूसरी अपील दिनांक 19 फरवरी, 1975, कुमारी किरण आनंद, उप न्यायाधीश तृतीय श्रेणी, हिसार के दिनांक 19 फरवरी 1975 की पुष्टि करती है। मार्च 1971 के दिन वादी का मुकदमा लागत सहित ख़ारिज कर दिया गया।

अपीलकर्ताओं के लिए सी. बी. गोयल, वकील, एल. एन. जिंदल, वकील के साथ।

प्रतिवादियों की ओर से वकील एस. सी. कपूर।

निर्णय

माननीय एस. पी. गोयल

(1) अपीलकर्ताओं के पिता दीवान चंद ने 112 कनाल जमीन बेची। 8000/- रुपये में 104 मरला, दिनांक 19 सितंबर, 1963 के विक्रय विलेख के माध्यम से। अपीलकर्ताओं ने उक्त भूमि के संयुक्त कब्जे के लिए यह मुकदमा दायर किया और आरोप लगाया कि उन्होंने अपने पिता के साथ एक संयुक्त हिंदू परिवार का गठन किया है; कि बेची गई भूमि सहदायिक संपत्ति थी और बिक्री बिना प्रतिफल और कानूनी आवश्यकता के की गई है। मुकदमे का प्रतिवादियों द्वारा विरोध किया गया, जिन्होंने सभी महत्वपूर्ण आरोपों का खंडन किया और आगे दलील दी कि बिक्री परिवार के लाभ के लिए की गई थी और अच्छे प्रबंधन का कार्य होने के कारण वादी पर बाध्यकारी थी। ट्रायल कोर्ट ने पक्षों के साक्ष्य दर्ज करने के बाद इस दलील को खारिज कर दिया कि संपत्ति सहदायिक संपत्ति थी और यह भी कहा कि

बिक्री विचार और कानूनी आवश्यकता के लिए की गई थी और अच्छे प्रबंधन के एक कार्य के रूप में मुकदमा खारिज कर दिया। अपील पर इसके निष्कर्षों की पुष्टि की गई जिसके परिणामस्वरूप वादी द्वारा यह दूसरी अपील दायर की गई।

(2) अपील मेरे सामने अकेले बैठकर सुनवाई के लिए आई और विवाद में भूमि की पैतृक प्रकृति को यह कहते हुए संशोधित किया गया कि विवाद में भूमि का 2/3 भाग सहदायिक संपत्ति थी। इसके बाद यह सवाल उठा कि क्या बिक्री पूरी तरह से पैतृक संपत्ति के आधार पर रद्द की जा सकती है या विक्रेताओं के हिस्से की सीमा तक वैध और बाध्यकारी थी। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने ज्वाला सिंह और अन्य बनाम लछमन दास और अन्य (1) पर भरोसा करते हुए आग्रह किया कि बिक्री विक्रेताओं के हिस्से के लिए बाध्यकारी थी। ज्वाला सिंह के मामले में निर्णय की शुद्धता पर संदेह करते हुए (सुप्रा) मैंने निम्नलिखित प्रश्न को एक बड़ी बेंच को भेजा: -

"क्या सहदायिक संपत्ति की बिक्री, यदि न तो कानूनी आवश्यकता के लिए और न ही संपत्ति के लाभ के लिए पाई गई, विक्रेता के हिस्से की सीमा तक बाध्यकारी होगी?

(3) जब मामला डिवीजन बेंच के सामने आया, तो यह उनके ध्यान में लाया गया कि ज्वाला सिंह के मामले (सुप्रा) में निर्णय की बाद में लछमन दास बनाम उदे चंद और अन्य में लेटर्स पेटेंट बेंच द्वारा पुष्टि की गई थी (2)). परिणामस्वरूप, डिवीजन बेंच ने उपरोक्त प्रश्न को पूर्ण बेंच को भेज दिया।

(4) पार्टियों के बीच यह स्वीकार किया गया कि पंजाब और हरियाणा में हिंदू मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ द्वारा शासित हैं। मुल्ला द्वारा लिखित हिंदू कानून के अनुच्छेद 269 के अनुसार, जो आधी सदी से भी अधिक समय से निर्विवाद अधिकार की पुस्तक है, जहां संयुक्त हिंदू परिवार का एक सदस्य, मिताक्षरा कानून द्वारा शासित होता है, संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से को बिना बताए बेचता या गिरवी रखता है। सहदायिक की सहमति. जब तक कि यह कानूनी आवश्यकता के लिए न हो और यह अलगाव करने वाले सहदायिक के हिस्से को भी पार नहीं करता है, तब तक अलगाव को पूरी तरह से रद्द किया जा सकता है। इस पैराग्राफ में यह भी कहा गया है कि पंजाब में भी जहां प्रथा के अनुसार बेटा पिता के खिलाफ बंटवारे का दावा नहीं कर सकता, वहां भी अलगाव रद्द होने पर बेटा पिता के साथ संयुक्त कब्जे का हकदार है। अनुच्छेद 260 में निहित कानून का कथन भी ऐसा ही है। कानून के उपरोक्त कथन को लछमन प्रसाद और अन्य बनाम सरनाम सिंह और अन्य (3), अनंत राम और अन्य

बनाम एटा के कलेक्टर और प्रिवी काउंसिल द्वारा विधिवत मान्यता दी गई और लागू किया गया था। अन्य (4), और मन्ना लाई बनाम कारू सिंह और अन्य (5)। चंद्रदेव सिंह और अन्य बनाम माता प्रसाद और अन्य (6), और मथुरा मिश्रा और अन्य बनाम राजकुमार मिश्रा और अन्य (7) मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने उसी प्रभाव के लिए कानून निर्धारित किया। संयुक्त पंजाब में भी जैसा कि बादाम और अन्य बनाम माधो राम और अन्य (8), चिरंजी लाई बनाम करतार सिंह और अन्य (9), दैया राम और अन्य बनाम हरचरण दास और अन्य (10), राज किशोर बनाम में व्यक्त किया गया है। मदन गोपाल और अन्य (11), और रल्ला राम और अन्य बनाम आत्मा राम और अन्य (12), स्थापित दृष्टिकोण वही रहा है। बालमुकंद बनाम कमला वती और अन्य (13) में सुप्रीम कोर्ट की निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए ज्वाला सिंह के मामले (सुप्रा) में पहली बार एक बदलाव किया गया था।

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिंडी दास स्वयं उस अनुबंध से बंधे थे जिसमें उन्होंने प्रवेश किया था और वादी विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 15 के लाभ का हकदार होगा जो इस प्रकार चलता है।"

उन्हीं टिप्पणियों के आधार पर, ज्वाला सिंह के मामले (सुप्रा) में निर्णय की पुष्टि बालमुकंद के मामले (सुप्रा) में लेटर्स पेटेंट बेंच द्वारा की गई थी, इसमें कोई सवाल नहीं था कि जहां मिताक्षरा कानून प्रचलित था, वहां प्रबंधक या किसी सहदायिक द्वारा संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति का अलगाव किया गया था। बिना किसी कानूनी आवश्यकता और सहमति के 'अन्य सहदायिकों ने एलियनर के हिस्से को बाध्य नहीं किया था, इसे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया था और इस प्रकार ऊपर उल्लिखित टिप्पणियां जो विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 15 के संदर्भ में की गई थीं। उस सीमित क्षेत्र में क्रियाशील। उक्त टिप्पणियाँ करते समय बिना किसी तर्क के, सुप्रीम कोर्ट ने यह कानून निर्धारित किया है कि जिन राज्यों में मिताक्षरा कानून लागू होता है, विक्रेता के हिस्से के लिए अलगाव बाध्यकारी होगा, भले ही यह सहमति के बिना बनाया गया हो। अन्य सहदायिकों और कानूनी आवश्यकता के लिए न ही संपत्ति के लाभ के लिए।

(5) हालाँकि यह प्रश्न सीधे तौर पर शामिल नहीं था, लेकिन उपहार कर आयुक्त बनाम तेज नाथ (14), (पूर्ण पीठ) में इस न्यायालय की पुल बेंच ने उपहार और शक्ति के माध्यम से अलगाव की प्रकृति का निर्धारण किया था। इस संबंध में प्रबंधक ने देखा कि दोनों मामलों (यानी उपहार और अन्य हस्तांतरण) में नियम दृढ़ता से स्थापित है कि हिंदू कानून के संदर्भ में अनुमति नहीं दी गई हिंदू अविभाजित पारिवारिक संपत्ति का हस्तांतरण कर्ता के हिस्से को भी बाध्य नहीं

करता है, हालांकि आवेदन में इस नियम के अनुसार, रोक कर्ता को अलगाव से बचने से रोकता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि ज्वाला सिंह के मामले में दिए गए असंगत नोट को छोड़कर (सुप्रा) कानून का यह प्रस्ताव कि मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ के तहत, अलगाव यदि अन्यथा शून्य है, तो विदेशी के हिस्से को भी बाध्य नहीं करता है^ को हमेशा स्वीकार किया गया है और पांच दशकों से अधिक समय से इस न्यायालय में कार्यरत हैं। तदनुसार, हमें संदर्भित प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है और निर्णय एल.पी.ए. में है। 1973 की संख्या 692 (सुप्रा) को खारिज कर दिया गया। मामला अब गुण-दोष के आधार पर निपटारे के लिए एकल पीठ के पास जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आयुष गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पलवल, हरियाणा